प्रेषक,

संख्या– / XXVII(7)20–50(18) / 2020

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक: 18 सितम्बर, 2020

विषय:– **पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को उनके गृह जनपद जाने के लिए पूर्व में अनुमन्य आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि अवकाश की सुविधा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–No-2490/II 749 दिनांक 23 अप्रैल, 1937 द्वारा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में कार्यरत पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अपने घर (पर्वतीय क्षेत्र) जाने के लिए आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि की विशेष सुविधा दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। पृथक राज्य गठन होने एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23 अप्रैल, 1937 को शासनादेश संख्या–13/6/2002– का–1–2003 दिनांक 07 जनवरी, 2003 द्वारा निरस्त किया गया है।

2. पृथक राज्य गठन होने के उपरान्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या–No-2490/II 749 दिनांक 23 अप्रैल, 1937 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–276 (1) / XXVII(7)–50(18) / 2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner